Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-122/UP

Dated: 01/01/2018

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Sanction of Revised Pay Matrix from 01st January 2016 reg.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/LID-18376,20763,20776,23255/1179 dated 15/11/2017 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.OM No. 11/2017-P.C-2-563/X-2017-04-(M) /2017 dated 27/07/2017 of Finance (Pay Commission) Section-2, Government of Uttar Pradesh.
3.OM No. 7/2017-P.C-1-666/X-2017-36 (M) /08 dated 11/10/2017 of Finance (Pay Commission) Section-1, Government of Uttar Pradesh.
4. OM No. 20/2017-P.C-2-886/X-2017-04(M)/2017 dated 21/09/2017 of Finance (Pay Commission) Section-2, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Sanction of Revised Pay Matrix from 01st January 2016 with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***"Treasury endorsement of orders for other states"***. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

s/d

Sr. Accounts Officer

PAG/पेंशन/DR889/122
01/12/17

P19
334384
28/11/17

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

पत्रांकः–पेंशन विविध / LID-18376,20763,20776, 23255/1179

दिनांक:- 15-11-2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)

Kerela, Thiruvananthapuram, - 695039

विषयः– 1. उ0प्र0 शासन संख्या 11/ वे0आ0–2–563 / दस–2017–04(एम0) / 2017 दिनांक 27.07.2017

2. वित्त (आयोग) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या 20 / 2017 / वे0आ0–2–886 / दस–2017 – 04(एम0) / 2017 दिनांक 21.09.2017.

3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 7 / 2017 वे0आ0–1–666 / दस–2017–36(एम) /08 दिनांक 11.10..2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें /

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

To,
Hindicell,
may please translate in to English.

for AAO
P19.

1

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II
20 SAROJINI NAIDU MARG, U.P, ALLAHABAD
Phones: Off.2622625-26 Fax:0532-2624402
Letter :- Pension Misc./LID-18376,20763,20776,23255/1179

Dated: 15.11.2017

To

The Accountant General (A&E)
Kerala, Thiruvananthapuram-695039

Sub :-
1. Government of U. P. No.11/P.C.-2-563/X-2017-04(M)/2017 dated 27.07.2017
2. Finance (Commission) Section - 2 G O No. 20/2017/P.C.-2-886/X-2017-04(M)/2017 dated 21.09.2017
3. Finance (Pay Commission) Section-1 G O No. 7/2017/P.C.-1-666/X-2017-36(M)/08 dated 11.10.2017

Sir,

Copies of the above orders issued by Department of Finance, Uttar Pradesh are being sent enclosed herewith.

Therefore, you are requested to circulate the above orders to all the Treasury Officers/ Pension Payment Officers under your jurisdiction and direct them to take action as per rules and a copy may be forwarded to this office also.

Enclosure: as above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/Pension Misc.

R 23555

14/9/2017

संख्या 11/2017-वे0आ0-2-563/दस-2017-04 (एम)/2017

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

14 SEP

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 27 जुलाई, 2017

विषयः-दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन-मैट्रिक्स की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संदर्भ में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2016 के सादृश्य शासनादेश संख्या-65/2016/वे0 आ0-2-1442/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये तालिका लेवल-13 निर्धारित था। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 द्वारा ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 को संशोधित कर दिया गया है।

2. भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 16 मई 2017 के कम में शासनादेश दिनांक 20 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका में ग्रेड वेतन रू0 8700 के लिये संलग्नक की तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मैट्रिक्स लेवल-13 की कोष्ठिकाओं को स्तम्भ-3 के अनुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपरोक्त संशोधन से हुए वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन के अवशेष का भुगतान शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्थानुसार दो वित्तीय वर्षों में किया जायेगा।

4. उपर्युक्त कम में राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-66/2016/वे0आ0-2-1443/दस-04(एम)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर 2016, एवं

Fwd
25.9.17

18376

SSADR-125

वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–67 / 2016 / वे0आ0–2–1447 / दस–04(एम) / 2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के साथ संलग्न तालिका का लेवल–13 उक्त सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
सचिव।

संख्या– वे0आ0–2– (1) / दस–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी–I एवं II तथा आडिट– I एवं II, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग / इरला चेक अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
विशेष सचिव।

Enclosure of GO No. 11/2017-P.C.-2-563/X-2017-04(M)/2017 dated 27th July, 2017

Sl No.	Matrix level-13 fixed for Grade Pay of Rs.8700 in the table enclosed with GO dated 20th December 2016.	Substituted Matrix Level-13 for Grade Pay Rs.8700.
(1)	(2)	(3)
1	118500	123100
2	122100	126800
3	125800	130600
4	129600	134500
5	133500	138500
6	137500	142700
7	141600	147000
8	145800	151400
9	150200	155900
10	154700	160600
11	159300	165400
12	164100	170400
13	169000	175500
14	174100	180800
15	179300	186200
16	184700	191800
17	190200	197600
18	195900	203500
19	201800	209600
20	207900	215900
21	214100	

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 20 सा० वित्त–28–7–2017–(716)–1,000 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

संख्या- 7/2017/वे0आ0-1-666/दस-2017-36(एम)/08

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2016-2017 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित: निम्नलिखित -

(1) शासनादेश संख्या-7/2016/वे0आ0-1-940/दस-2016-36(एम)/08, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/4/2014/ई-III(ए) दिनांक 19 सितम्बर, 2017

24 OCT
अनुभाग
इलाहाबाद

महोदय,

उत्पादकता से जुडी किसी भी बोनस योजना के अंतर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वर्ष 2015-2016 के लिये 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-(2) पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19 सितम्बर, 2017 द्वारा वर्ष 2016-2017 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

3- उपर्युक्त क्रम संख्या-(1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद अधिकतम वेतन मैट्रिक्स में लेबल-8 (रू0 47600-151100) (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रू0 5400/- से कम है) में है, को वर्ष 2016-2017 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

(1) पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेबल-8 (रू0 47600-151100) तक के पद (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में, जिनके वेतनमान का अधिकतम ग्रेड वेतन रू0 5400/- से कम है) पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त उच्च वेतन मैट्रिक्स, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2017 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2017 को ग्राहय परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉं आगणित की जायेगी।

(4) दिनांक 31 मार्च, 2017 की वास्तविक औसत परिलब्धियॉं रू0 7000/- से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000/- को परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2017 को 30 दिन की परिलब्धियॉं (रू0 7000 X 30/30.4=6907.89) अर्थात 6908/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी।

(5) ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2016-2017 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।

(6) किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

(7) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकिंत किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णाकित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2017 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2017 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) 03 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियाँ रू0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200x30/30.4=1184.21 अर्थात 1184/- पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रू0 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

5- सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा, जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2017 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6- बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेगें।

7- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या- 7/2017/वे0आ0-1-666(1)/दस-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001.

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, चिकित्सा अनुभाग-2, नगर विकास अनुभाग-1/3, कृषि अनुभाग-8, पंचायती राज अनुभाग-1/3,आवास अनुभाग-2 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

(9) शिक्षा अनुभाग-3, 5, 6, 8, 11, 13 तथा 15, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1/2 तथा वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(10) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

(11) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(12) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(13) निदेशक, पंचायती राज, (लेखा), उ0प्र0 (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद, उ0प्र0 को भेजी जायेंगी)।

(14) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(15) प्रभारी, निकुंज सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(16) महालेखाकार, उत्तरांखण्ड, देहरादून।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

के0एल0 वर्मा
उप सचिव।

संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886/दस-2017-04 (एम)/ 2017

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2017

विषयः-दिनांक 01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के फलस्वरूप अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक निर्गत संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2 -2643/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर 2016 के उपप्रस्तर- 17(i) एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के प्रस्तर-10 (1) में यह व्यवस्था की गयी थी कि- दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं मँहगाई भत्ता के देय अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में किया जायेगा, जिसके 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में अवशेष का आहरण सम्बन्धित वर्ष के माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा।

2. उपर्युक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक के देय अवशेष के 50 प्रतिशत अंश जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के माह अक्टूबर में किये जाने की व्यवस्था की गयी थी, का भुगतान माह दिसम्बर 2017 के उपरान्त किया जायेगा।

SSA-DR-Del-138

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

3. उपर्युक्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04 (एम)/2016 दिनांक 16 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या-67/ 2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के सम्बन्धित प्रस्तर इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

मुकेश मित्तल

सचिव।

संख्या-20/2017/वे0आ0-2-886 (1)/दस-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट- । एवं ।।, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी 2017 के क्रम में उपरोक्तानुसार आदेश निर्गत कराने का कष्ट करें।
5. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अर्जुन सिंह

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

No. 11/2017-P.C-2-563/X-2017-04-(M)/2017

From

Ajay Agrawal
Secretary,
Government of Uttar Pradesh

To

1. **All Addl Chief Secretary/**
   Principal Secretary/Secretary,
   Government of Uttar Pradesh

2. **All Heads of Department and Heads of Main Offices,**
   Uttar Pradesh.

Finance (Pay Commission) Section -2 **Lucknow : dated : 27th July, 2017**

Sub :- Sanction of revised Pay Matrix from 01st January 2016 - reg.

Sir,

Inviting your attention to the above mentioned subject, I have been directed to state that as per the table enclosed with GO No.65/2016/P.C.-2-1442/X-04 (M)/2016 dated 20th December 2016 similar to Government of India Notification dated 25th July 2016 with reference to the recommendations of Pay Committee (2016), sanction was accorded for revised Pay Matrix to State Government employees, in which level-13 was fixed for Grade Pay of Rs8700. Vide Government of India Notification dated 16th May 2017, level-13 in the pay matrix fixed for Grade Pay Rs.8700 has been amended.

2. The Honourable Governor is pleased to accord sanction for the substitution of the cells of matrix level-13 mentioned in column-2 of the enclosed table for Grade pay of Rs.8700 with column-3 in the table enclosed with GO dated 20th December 2016, in continuation to Government of India, Notification dated 16th May 2016.

3. Payment of residual of pay consequent to pay re-fixation as a result of the above amendment will be made as per the provisions of para-10 of G O No. 67/2016/P.C.-2-1447/X-04(M)/2016 dated 22nd December 2016 in two financial years.

4. In continuation of the above, level -13 of the table enclosed with GO No.-66/2016/ P.C-2-1443/X-04(M)/2016 dated 20th December 2016 regarding sanction of pay matrix and GO No.-67/2016/P.C-2-1447/X-04(M) dated 22nd December 2016 regarding pay fixation to the teaching and non-teaching staff of the state shall be treated as amended to the above extent.

Enclosure :- As above.

Yours faithfully,
Sd/-
(Ajay Agrawal)
Secretary

No.7/2017/P.C.-1-666/X-2017-36(M)/08

From

Mukesh Mittal
Secretary
Government of Uttar Pradesh

To

1. **All Heads of Departments and Heads of Main Offices, Uttar Pradesh**
2. **Finance Officer/Registrar, All State Universities, Uttar Pradesh**
3. **Director of Education (Higher Education)/Director of Education, Uttar Pradesh, Allahabad/ Lucknow**
4. **Director, Technical Education, Uttar Pradesh, Kanpur**
5. **Director, Local Bodies, Uttar Pradesh, 8th Floor, Indira Bhavan, Lucknow**
6. **All District Officers/Chairmen, District Panchayats, Uttar Pradesh**
7. **Director, Department of Panchayati Raj, Uttar Pradesh, Lucknow**

Finance (Pay Commission) Section-1 **Lucknow, Dated 11th October 2017**

Sub : Payment of Adhoc Bonus of 30 days for the year 2016-2017 to state employees, work charged employees of government departments and the employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Local Bodies and daily wages employees.

Read with the following -

(1) Government Order No.-7/2016/P.C.-1-940/X-2016-36(M)/08, dated 26th October, 2016
(2) Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. 7/4/2014/E-III(A) dated 19th September, 2017.

Sir,

Vide the above Government Order dated 26th October, 2016 orders were issued for payment of Adhoc Bonus of 30 days for the year 2015-2016 to State employees, employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Local Bodies and daily wages employees, for want of a detailed bonus scheme for the employees of the above category who are not covered umder any Productivity Linked Bonus Scheme.

2. Government of India have issued orders for sanction of Adhoc Bonus equivalent to 30 days emoluments for the year 2016-2017 to Central Government employees vide OM dated 19th September, 2017 mentioned in above reference no.(2).

3. In continuation to GO dated 26th October, 2016 mentioned in above ref. no.(1), the Honourable Governor is pleased to sanction 30 days emoluments as Adhoc Bonus for the year 2016-2017 to all those full time non gazetted state employees, work charged employees of government departments and the employees of Educational and Technical Educational Institutions aided by Government Funds and employees of District Panchayats whose maximum pay in the post held is in level-8 (Rs.47600-151100) in the matrix (whose maximum grade pay of the pay scale in previous unrevised pay scales is less than ₹5400/-), subject to the following terms and conditions :-

(1) The Adhoc Bonus will be permissible to such non gazetted employees also who are working on the posts upto level-8 (₹47600-151100) in the pay matrix under the revised pay structure

(whose maximum grade pay of the pay scale in previous unrevised pay scales is ₹5400/-) and who have been granted the above higher pay matrix as time scale pay sc financial up-gradation and their status has not been changed.

(2) The above benefit will be permissible to those employees only who have completed one year continuous service as on 31st March 2017.

(3) 30 days emoluments for Adhoc Bonus will be calculated as per the emoluments admissible as on 31st March 2017 based on the average number of days in a month as 30.4.

(4) In case the actual average emoluments as on 31st March 2017 exceed ₹7000/-, taking ₹7000/- as notional emoluments, 30 days emoluments as on 31st March 2017 (₹7000 X 30/30.4 = 6907.89) ie, ₹ 6908/- will be permissible as Adhoc Bonus.

(5) Payment of Adhoc Bonus to such employees, against whom departmental disciplinary proceedings under Discipline & Appeal Rules or criminal case in any court, are pending, shall be postponed till the decision of such disciplinary proceedings or cases are declared, which shall be permitted in case of acquittal. In addition to this, payment of adhoc bonus shall not me made to such employees who have been punished in any departmental disciplinary proceedings or criminal case in the year 2016-17.

(6) Once decision has been taken regarding the adhoc bonus of any financial year, thereafter it will not be reconsidered in the ensuing years under any circumstances.

(7) The calculated amount of adhoc bonus sanctioned by these orders shall be rounded off to the nearest rupee ie, it shall be rounded off by taking 50 paise or more as one rupee and ignoring the amount less than it.

4. This benefit will be permissible to those daily wages employees, who have worked continuously for 3 years or more and worked for at least 240 days in each year as on 31st March, 2017. This benefit will be permissible to such full time employees also who have not completed one year continuous service as on 31st March, 2017 but have worked continuously for 3 years or more and worked for at least 240 days in each year as daily wages employee (including both terms) till the above date. In such cases the monthly emoluments of the concerned employee will be taken as ₹1200/- per month and as such the amount of adhoc bonus payable shall be ₹1200 x 30/30.4=1184.21, rounded off to ₹1184/-, but the amount of adhoc bonus of such employees whose actual emoluments is less than ₹1200/- per month will be calculated on the basis of their actual monthly emoluments.

5. 75% share of the permissible amount of adhoc bonus will be credited to the GPF account of all categories of employees who are eligible for the above benefit, and the remaining 25% will be paid in cash. If any employee is not a subscriber of GPF account, the above amount will be given as National Savings Certificate (NSC) or will be deposited in the Public Provident Fund (P.P.F). Payment of the entire amount of adhoc bonus will be made in cash to such employees who have retired after 31st March 2017 or are due to retire upto 30th April, 2018 on attaining the age of superannuation.

6. The terms and conditions mentioned in para 1 (7), 5 and 6 of GO No. PC-1-120/X-1(M)/84 dated 18th January, 1984 regarding payment of bonus shall be applicable as it is in the case of adhoc bonus sanctioned vide this GO.

7. The adhoc bonus sanctioned as above will be debited to the same head of account of income and expenditure from which the salary expenditure of the concerned employees are incurred and will be booked under the standard item "salary".

Yours faithfully,
Sd/-
(Mukesh Mittal)
Secretary

No. 20/2017/P.C.-2-886/X-2017-04(M)/2017

From

Mukesh Mittal,
Secretary,
Government of Uttar Pradesh.

To

1. **All Addl Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Government of Uttar Pradesh**
2. **All Heads of Departments & Heads of Main Offices, Uttar Pradesh**

Finance (Pay Commission) Section-2 **Lucknow : dated : 21st September, 2017**

Sub : Payment of residual dues consequent to sanctioning of revised Pay Matrix from 01st January 2016 -reg.

Sir,

Inviting your attention to the above mentioned subject I have been directed to state that in sub para-17(1) of Resolution No. 62/2016/P.C.-2-2643/X-04(M)/2016 dated 16th December 2016 issued with regard to accepting the recommendations of Pay Committee (2016), and in para-10(1) of GO No.67/2016/P.C.2-1447/X-04(M)/2016 dated 22nd December 2016 regarding fixation of pay in revised Pay Matrix, the following arrangement were made - payment of residual dues of revised pay matrix and dearness allowance upto 01st January 2016 to 31st December 2016 will be made in two equal instalments, payment of 50% of which will be made in the financial year 2017-18 and payment of 50% will be made in the financial year 2018-19. The residual amount in the financial year 2017-18 and 2018-19 shall not be drawn before the month of October of the corresponding year.

2. In continuation to the above, I have been directed to state that the provision was made for payment of 50% of residual dues upto 01st January 2016 to 31st December 2016 to State Government employees, State Government teachers and the staff of aided Educational/Technical Educational Institutions, Urban Local Bodies in the month of October of the financial year 2017-18, the above payment shall be made after the month of December 2017.

3. The concerned paras of above Resolution No. 62/2016/P.C.2-2643/X-04(M)/2016 dated 16th December 2016 & GO No. 67/2016/P.C.2-1447/X-04(M)/2016 dated 22nd December 2016 shall be treated as amended to this extent.

Yours faithfully,

Mukesh Mittal
Secretary

No.20/2017/P.C.2-886(1)/X-2017, Even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Accountant General (A&E) –I & II & Audit –I & II, U.P., Allahabad.
2. Prl Secretary to the Honourable Governor of Uttar Pradesh.